


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ग्यारसी बनाम कालू 214/11 (आरसीएमएस नं. 2011/00046)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील खारिज किये जाने प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में उभयपक्षों में राजीनामा के आधार पर मूल वाद राजीनामा के आधार पर विद्धो कर खारिज कर लिया गया है तथा जब पक्षकारों में मूल वाद ही विद्धो कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में उक्त अपील स्वतः ही इन्फेक्सस हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील मूल वाद के विद्धो हो जाने के कारण सारहीन होने के आधार पर खारिज फरमाई जावें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर मूल वाद विद्धो हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही हस्तगत अपील को विद्धो कर खारिज कराना चाहता है तो फिर ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (के०सी०वर्मा) संभागीय आयुक्ता, जयपुर </p>	